संख्या-25/2016-936/चौदह-4-2016-22/2016

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 **लखनऊ, दिनांक, 31 मार्च, 2016**

विषय: वित्तीय वर्ष-2015-16 में जनपद इटावा में अन्य वन्य जीवों हेतु सफारी पार्क की स्थापना योजनान्तर्गत नई मॉगों के माध्यम से आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 1300.00 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0पी-1211/36-टी-77 दिनांक 29 मार्च, 2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इटावा में अन्य वन्य जीवों हेतु सफारी पार्क की स्थापना योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए जनपद इटावा में अन्य वन्य जीवों हेतु सफारी पार्क की स्थापना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 5473.92 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष योजनान्तर्गत नई मॉगों के माध्यम से आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 1300.00 लाख (रू0 तेरह करोड़ मात्र) निम्नलिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	**धनराशि (रू0 हजार में) वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटन**
अनुदान संख्या-60	
पूँजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव परिरक्षण-	
11- जनपद इटावा में अन्य वन्य जीवों हेतु सफारी पार्क की स्थापना	
24-वृहत निर्माण कार्य	120000
42-अन्य व्यय	10000
योग:-	**130000**

(रू0 तेरह करोड़ मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्तकिया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में

http://shasanadesh.up.nic.in

समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आंगणन के अनुसार कराये जायेंगे तथा समस्त वैधानिक अनुमति संबंधित वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उललेखनीय परिवर्तन जेसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि, इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

3- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

4- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

5- प्रायोजना का जनपद के शिड्यूल आफ रेट विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम स्तर के अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति के सापेक्ष ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कार्य कराया जाय तथा उस पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात़ ही परियोजना के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त निर्गत की जायेगी।

6- प्रायोजना प्रस्ताव में एनीमल हेतु इनरीचमेंट एक्टिविटीज हेतु रू0 30.00 लाख, सफारी एरिया में प्लान्टेशन हेतु रू0 8.00 लाख तथा ग्रास डेवलपमेंट हेतु रू0 125.00 लाख की लागत एक मुश्त आधार पर अनुमन्य की गयी है। अत: निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व इन कार्य मदों का विस्तृत आगणनगठित किया जाय तथा इस विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाय।

7- प्रायोजनान्तर्गत ट्रांसफार्मर एवं डी0जी0 सेट का प्राविधान किया गया है। योजना के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर निविदा प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोपाइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिडयूल आफ रेटस उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक माडल स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण के समय इसका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-1211/36-टी-77 दिनांक 29 मार्च, 2016 के साथ संलग्न प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-949/7-4(अ0स0पा0) दिनांक 29 मार्च, 2016 में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जायेगा।

3/-

9- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/ सहमति नियमानुसार प्राप्तकरने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10- केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।

11- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा। प्रमुख वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगें कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दिवरावृत्ति न हो।

12- व्यय को निर्धारित मानको के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

13- प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

14- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष साख-सीमा निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

15- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 के अशासकीय संख्या-307ई-7/दस-2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

संख्या-936(1)/चौदह-4-2016-22/2016 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं क़षि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- निदेशक, इटावा सफारी पार्क इटावा।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in